सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 63/15

1. इन्द्रजीतशर्मा पुत्र श्री द्वारकादास शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 19 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. विनोद सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख, निवासी 19 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   सुखदेव सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 19 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर
2. ग्राम पंचायत 7 पीएस जरिये सरपंच कुलविन्द्र सिंह
3. नारायण प्रसाद पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 19 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर दिनांक 04.09.2015

उपस्थित :
1. श्री दलबारा सिंह बराड , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री जगमोहन आहुजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या 01
3. श्री बलकरण सिंह बराड, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या 02
4. श्री बलजीत सिंह बराड, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या 03

आदेश **दिनांक : 11–07–17**

प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस पेड को हटाने का आदेश पारित किया गया है वह पेड अपीलान्टस के मकान के आगे व उनकी सीमा में तथा उनके द्वारा लगाया हुआ होने से प्रभावित पक्षकार है। अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई हेतु कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया। अपीलकृत आदेश एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट्स ने पेड अपनी सुविधा के लिए लगाया हुआ है, आवागमन में कोई बाधा नही है न ही पेड रास्ता आम में है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल कृषि भूमि में स्थित पेड़ो को हटाने की स्वीकृति देने का अधिकार है। प्रश्नगत पेड आबादी भूमि में स्थित है तथा अपीलांट्स का मलकियती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं। आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायत अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलकृत आदेश से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई हेतु कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया। अपीलकृत आदेश एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट्स ने पेड अपनी सुविधा के लिए लगाया हुआ है, आवागमन में कोई बाधा नही है न ही पेड रास्ता आम में है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल कृषि भूमि में स्थित पेड़ो को हटाने की स्वीकृति देने का अधिकार है। प्रश्नगत पेड आबादी भूमि में स्थित है तथा अपीलांट्स का मलकियती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं। आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायत अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। दोराने बहस वकील अपीलांट ने मौके के कलर फोटोग्राफ भी पेश किये हैं जो पत्रावली के संलग्न है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रश्नगत पेड रास्ता आम में हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलकृत आदेश पारित किया है। सरपंच, ग्राम पंचायत 7 पीएस की रिपोर्ट के अनुसार चक 19 पीएस के आबादी भूमि में आहता संख्या 10 की दिवार के साथ (नजदीक) चौक में पहाडी किकर–एक नग व गांव के आम रास्ते में (फिरनी) में देशी किकर–एक नग रास्ते के बीच में खड़े है। ग्राम वासियों को आवागमन में परेशानी होती है। आहता संख्या 10 के सामने पहाडी किकर से आहते के मालिक को ट्रैक्टर व अन्य साधनों के आवागमन से परेशानी होती है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक पक्षीय है। प्रश्नगत पेड रास्ता आम में नही है। एक पेड चौक मे है तथा दूसरा आबादी की फिरनी के साथ जो खाला जाता है उस भूमि में है। जहां पेड स्थित है वह फिरनी बंद है, चालू नहीं हैं। पेड़ो से गांव के आमजन को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/15/50 दिनांक 4–9–15 के अनुसार ग्राम पंचायत 7 पी0एस0 के प्रस्ताव के अनुसार चक 19 पी0एस0 के अहाता सं0 10 के सामने चौक में एक पेड़ पहाड़ी कीकर व सड़क में एक नग देशी कीकर काटने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्त – "काटे गए पेड़ों की कमेटी गठित कर बोली लगाकर राशि राजकोष में जमा करवायें एवं बदले में दुगने पेड़ लगायें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश किसके प्रार्थना पत्र पर, क्या विधिसम्मत् कार्यवाही की जाकर पारित किया गया है? पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। अपीलाधीन आदेश मैरिट पर न होकर एक प्रशासनिक आदेश है। मेरे विन्रम मत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो प्रावधान दिये गये हैं, उनके अनुसार विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश पारित करने में विधिक प्रकिया न अपनाई जाने के कारण अपीलकृत आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश दिनांक 4–9–15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक हो तो इस हेतु विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो प्रावधान दिये गये हैं, उनके अनुसार विधिसम्मत् कार्यवाही कर पुनः नये सिरे से विधिसम्त् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25–07–17 को पेश हो।

आदेश आज दिनांक 11–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर